

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN  
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal)  
No.875/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 974/2026  
URN: CRLAS / 1830U / 2026

Vikram S/o Ramkaran, Aged About 30 Years, R/o Babedi, Police  
Station Harsora, Tehsil Bansur. (At Present Confined In Sub  
District Jail, Kotputali)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

---

|                   |   |                                                             |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| For Appellant(s)  | : | Mr. Abishek Jhingonia                                       |
| For Respondent(s) | : | Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. with<br>Mr. Gaurav Gupta, P.P. |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI**

**Order**

**15/07/2026**

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय—अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या—03, कोटपूतली, जिला कोटपूतली—बहरोड़ (राजस्थान) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या—24/2018, राजस्थान राज्य बनाम विक्रम एवं अन्य में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 24.04.2026 के विरुद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम तीन वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को प्रकरण में अधिकतम तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया किया गया है, अपीलार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत पर आजाद रहा है तथा वर्तमान में वह निर्णय की दिनांक 24.04.2026 से अभिरक्षा में है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के पर्याप्त एवं सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/- रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/- रूपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **17.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **विक्रम पुत्र श्री रामकरण** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI/26